भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2947
17 दिसंबर, 2025 के लिए प्रश्न

रतलाम में एफसीआई की भंडारण क्षमता

2947. श्रीमती अनिता नागरसिंह चौहान:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार मध्य प्रदेश के रतलाम लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के गोदामों की भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए किसी नई योजना/प्रस्ताव पर विचार कर रही है;
(ख) यदि हाँ, तो देश में वर्तमान में उपलब्ध कुल गोदाम क्षमता का ब्यौरा क्या है और आगामी वर्षों में इसमें कितनी वृद्धि प्रस्तावित है;
(ग) क्याद सरकारी, सरकारी निजी क्षेत्र भागीदारी (पीपीपी मॉडल) के माध्यम से अतिरिक्त भंडारण क्षमता विकसित करने पर विचार कर रही है; और
(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो क्या इस पर विचार किया जाएगा?

उत्तर
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क): भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) में भंडारण क्षमता की आवश्यकता मुख्य रूप से चावल और गेहूं की खरीद, बफर मानदंडों की आवश्यकता और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के प्रचालन पर निर्भर करती है। सरकार देश भर में भंडारण क्षमता का निरंतर आकलन और निगरानी करती है और भंडारण अंतर आकलन के आधार पर, निम्नलिखित योजनाओं के माध्यम से भंडारण क्षमताएं सृजित/किराए पर ली जाती हैं:

1. निजी उद्यमी गारंटी (पीईजी) योजना
2. केंद्रीय क्षेत्र योजना (सीएसएस) 2017-25

...2/-

3. पीपीपी मोड के तहत साइलोज का निर्माण
4. सीडब्ल्यूसी/एसडब्ल्यूसी/राज्य एजेंसियों से गोदामों को किराये पर लेना
5. निजी भांडागार योजना (पीडब्ल्यूएस) के माध्यम से गोदामों को किराये पर लेना (पीडब्ल्यूएस)
6. परिसंपत्ति मुद्रीकरण के तहत गोदामों का निर्माण
7. सीएपी किराया योजना- 2025
8. पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के लिए संशोधित पीईजी योजना, जिसमें 15 वर्ष की लंबी गारंटी अवधि शामिल है

तथापि, आकलन के अनुसार, मध्य प्रदेश के रतलाम लोकसभा क्षेत्र में भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के गोदामों की भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए कोई नई योजना/प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख): सरकार मुख्य रूप से सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) प्रचालन के लिए और बफर स्टॉक बनाए रखने हेतु खरीद के बाद गेहूं और चावल का भंडारण एफसीआई के माध्यम से करती है। दिनांक 01.11.2025 तक की स्थिति के अनुसार, एफसीआई की उपलब्ध कुल भंडारण क्षमता 482.23 लाख टन (स्वामित्व वाली कवर्ड - 147.38 लाख टन + किराए पर ली गई कवर्ड- 322.43 लाख टन + सीएपी - 12.42 लाख टन) है। इसके अतिरिक्त, 432.93 लाख टन भंडारण क्षमता (347.13 लाख टन कवर्ड और 85.8 लाख टन सीएपी) राज्य एजेंसियों के पास है। राज्यवार विवरण **अनुबंध-I** में संलग्न है।

दिनांक 01.11.2025 तक की स्थिति के अनुसार, भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के 2544 गोदाम (स्वामित्व वाले - 575 और किराए पर लिए गए - 1969) देश भर के विभिन्न राज्यों में खाद्यान्न भंडारण के लिए कार्यरत हैं। राज्यवार विवरण **अनुबंध-II** में संलग्न है।

देश में कुशल भंडारण प्रणाली विकसित करने हेतु भंडारण सुविधाओं को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं:

साइलो- भंडारण सुविधाओं को उन्नत और आधुनिक बनाने के उद्देश्य से, भारत सरकार ने पीपीपी (सार्वजनिक निजी भागीदारी) मोड के तहत देशभर में स्टील साइलो के निर्माण को अनुमोदित कर दिया है। तदनुसार, 29.50 लाख टन क्षमता वाले 52 स्थानों पर साइलो का निर्माण पूरा हो चुका है। साइलो का निर्माण पीपीपी (सार्वजनिक निजी भागीदारी) मोड के तहत किया जा रहा है, जिसमें पूंजीगत व्यय निजी पक्षों द्वारा किया जाता है और किराए का भुगतान एफसीआई द्वारा किया जाता है।

...3/-

पीईजी योजना- पीईजी योजना के तहत, निजी निवेश को आकर्षित करते हुए 24 राज्यों में पारंपरिक गोदामों का निर्माण किया गया है। पीईजी योजना वर्ष 2008 में शुरू की गई थी। दिनांक 01.11.2025 तक की स्थिति के अनुसार गोदामों के लिए स्वीकृत कुल क्षमता 151.58 लाख टन है। इसमें से 148.51 लाख टन का निर्माण पूर्ण हो चुका है।

पीईजी योजना II- गेहूं खरीदने वाले राज्यों, विशेष कर पंजाब और हरियाणा में, शामिल की गई क्षमता सृजित करने के उद्देश्य से, खुले भंडारण को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए पंजाब और हरियाणा में नई क्षमता स्वीकृत की गई, अर्थात् पंजाब में 60 लाख टन और हरियाणा में 30 लाख टन।

केंद्रीय क्षेत्र योजना (सीएसएस) (31.03.2025 को समाप्त) - केंद्रीय क्षेत्र योजना (2017-25) के तहत, गोदामों को बढ़ाने के लिए मंत्रालय ने 24 स्थानों (पूर्वोत्तर में 15 और पूर्वोत्तर क्षेत्र के अलावा अन्य क्षेत्रों में 9) पर गोदामों के निर्माण को अनुमोदित किया था, जिनकी कुल क्षमता पूर्वोत्तर क्षेत्रों में 1,05,890 टन और पूर्वोत्तर क्षेत्र के अलावा अन्य क्षेत्रों में 54,760 टन थी। इस योजना के तहत, एफसीआई ने दिनांक 01.04.2017 से 30.11.2025 तक कुल 1,23,970 टन (पूर्वोत्तर क्षेत्रों में 72,550 टन और पूर्वोत्तर क्षेत्र के अलावा अन्य क्षेत्रों में 51,420 टन) की क्षमता सृजित की है।

गोदामों का निर्माण बीआईएस मानकों, सीपीडब्ल्यूडी के विनिर्देशों और सीपीडब्ल्यूडी द्वारा जारी मैनुअल के अनुसार किया गया है ताकि एकरूपता, सुरक्षा और स्थापित इंजीनियरिंग पद्धतियों के अनुपालन को सुनिश्चित किया जा सके।

परिसंपत्ति मुद्रीकरण - परिसंपत्ति मुद्रीकरण के तहत, एफसीआई के प्रशासनिक नियंत्रण में खाली जमीनों पर गोदामों का निर्माण किया जाता है।

पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के लिए संशोधित पीईजी योजना - पूर्वोत्तर और पहाड़ी क्षेत्रों में भी भंडारण सुविधाओं के निर्माण की गति को तेज करने के लिए, 15 वर्ष की अधिक गारंटी अवधि के साथ एक **संशोधित पीईजी योजना** शुरू की गई है।

(ग) और (घ): जी हां। सरकार एफसीआई के माध्यम से सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड के तहत साइलो के निर्माण द्वारा अपनी भंडारण क्षमता बढ़ाती है।

अनुबंध - I

लोक सभा में दिनांक 17.12.2025 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं. 2947 के उत्तर के भाग (ख) में उल्लिखित अनुबंध

दिनांक 01.11.2025 तक स्थिति के अनुसार एफसीआई और राज्य सरकार एजेंसियों के साथ केंद्रीय पूल भंडारण क्षमता

(आंकड़े लाख टन में)

अंचल	क्रम सं.	क्षेत्र/संघ राज्य क्षेत्र	एफसीआई के पास कुल भंडारण क्षमता (स्वामित्व/किराए पर) (कवर्ड एवं सीएपी)						कुल (स्वामित्व+ किराए पर)	खाद्यान्नों के भंडारण के लिए राज्य भंडारण निगमों (एफसीआई को दी गई क्षमता को छोड़कर) सहित राज्य एजेंसियों के पास कुल भंडारण क्षमता			सकल योग		
			कवर्ड		सीएपी		कुल		कवर्ड एवं सीएपी	राज्य एजेंसियां			कवर्ड	सीएपी	कवर्ड एवं सीएपी
			स्वामित्व की	किराए पर	स्वामित्व की	किराए पर	कवर्ड	सीएपी		कवर्ड	सीएपी	कुल			
पूर्वी	1	बिहार	3.45	9.99	0.00	0.00	13.43	0.00	**13.43**	10.13	0.00	10.13	23.56	0.00	**23.56**
	2	झारखंड	1.08	3.52	0.00	0.00	4.61	0.00	**4.61**	2.25	0	2.25	6.86	0.00	**6.86**
	3	ओडिशा	3.65	3.13	0.00	0.00	6.78	0.00	**6.78**	5.34	0	5.34	12.12	0.00	**12.12**
	4	पश्चिम बंगाल	9.53	1.42	0.00	0.00	10.95	0.00	**10.95**	9.66	0	9.66	20.61	0.00	**20.61**
	5	सिक्किम	0.11	0.01	0.00	0.00	0.11	0.00	**0.11**	0.11	0	0.11	0.23	0.00	**0.23**
कुल पूर्वी क्षेत्र			**17.82**	**18.07**	**0.00**	**0.00**	**35.89**	**0.00**	**35.89**	**27.49**	**0.00**	**27.49**	**63.38**	**0.00**	**63.38**
पूर्वोत्तर	6	असम	3.82	1.59	0.00	0.00	5.42	0.00	**5.42**	0.00	0	0.00	5.42	0.00	**5.42**
	7	अरुणाचल प्रदेश	0.41	0.04	0.00	0.00	0.45	0.00	**0.45**	0.00	0	0.00	0.45	0.00	**0.45**
	8	मेघालय	0.20	0.25	0.00	0.00	0.44	0.00	**0.44**	0.00	0	0.00	0.44	0.00	**0.44**
	9	मिजोरम	0.32	0.00	0.00	0.00	0.32	0.00	**0.32**	0.41	0	0.41	0.73	0.00	**0.73**
	10	त्रिपुरा	0.44	0.19	0.00	0.00	0.62	0.00	**0.62**	0.64	0	0.64	1.27	0.00	**1.27**
	11	मणिपुर	0.65	0.00	0.00	0.00	0.65	0.00	**0.65**	0.00	0	0.00	0.65	0.00	**0.65**
	12	नागालैंड	0.42	0.16	0.00	0.00	0.57	0.00	**0.57**	0.08	0	0.08	0.65	0.00	**0.65**
कुल पूर्वोत्तर क्षेत्र			**6.25**	**2.22**	**0.00**	**0.00**	**8.47**	**0.00**	**8.47**	**1.13**	**0.00**	**1.13**	**9.60**	**0.00**	**9.60**
उत्तर	13	दिल्ली	3.28	0.00	0.00	0.00	3.28	0.00	**3.28**	0.00	0	0.00	3.28	0.00	**3.28**
	14	हरियाणा	8.75	55.25	2.88	0.00	64.00	2.88	**66.88**	46.77	23.09	69.86	110.77	25.97	**136.74**
	15	हिमाचल प्रदेश	0.27	0.73	0.00	0.00	1.00	0.00	**1.00**	0.00	0	0.00	1.00	0.00	**1.00**
	16	जम्मू एवं कश्मीर	0.95	1.45	0.00	0.00	2.40	0.00	**2.40**	0.00	0	0.00	2.40	0.00	**2.40**
	17	लद्दाख	0.25	0.13	0.00	0.00	0.38	0.00	**0.38**	0.00	0	0.00	0.38	0.00	**0.38**
	18	पंजाब	27.17	122.65	3.31	5.63	149.82	8.94	**158.76**	30.19	62.71	92.90	180.01	71.65	**251.66**
	19	चंडीगढ़	0.00	0.09	0.00	0.00	0.09	0.00	**0.09**	0.00	0	0.00	0.09	0.00	**0.09**
	20	राजस्थान	8.42	12.45	0.60	0.00	20.87	0.60	**21.47**	0.00	0	0.00	20.87	0.60	**21.47**
	21	उत्तर प्रदेश	15.68	38.74	0.00	0.00	54.42	0.00	**54.42**	0.00	0	0.00	54.42	0.00	**54.42**
	22	उत्तराखंड	0.83	1.26	0.00	0.00	2.09	0.00	**2.09**	1.88	0	1.88	3.97	0.00	**3.97**
कुल उत्तरी क्षेत्र			**65.59**	**232.75**	**6.79**	**5.63**	**298.35**	**12.42**	**310.77**	**78.84**	**85.80**	**164.64**	**377.19**	**98.22**	**475.41**
दक्षिण	23	आंध्र प्रदेश	8.64	2.67	0.00	0.00	11.31	0.00	**11.31**	23.68	0	23.68	34.99	0.00	**34.99**
	24	अंडमान निकोबार	0.07	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	**0.07**	0.16	0	0.16	0.23	0.00	**0.23**
	25	तेलंगाना	6.68	16.20	0.00	0.00	22.87	0.00	**22.87**	6.01	0	6.01	28.88	0.00	**28.88**
	26	केरल	5.88	0.13	0.00	0.00	6.01	0.00	**6.01**	1.84	0	1.84	7.85	0.00	**7.85**
	27	कर्नाटक	4.61	5.83	0.00	0.00	10.44	0.00	**10.44**	0.00	0	0.00	10.44	0.00	**10.44**
	28	लक्षद्वीप	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	**0.03**	0.00	0	0.00	0.03	0.00	**0.03**
	29	तमिलनाडु	6.46	6.46	0.00	0.00	12.92	0.00	**12.92**	0.00	0	0.00	12.92	0.00	**12.92**
	30	पुदुचेरी	0.51	0.00	0.00	0.00	0.51	0.00	**0.51**	0.00	0	0.00	0.51	0.00	**0.51**
कुल दक्षिणी क्षेत्र			**32.87**	**31.28**	**0.00**	**0.00**	**64.16**	**0.00**	**64.16**	**31.69**	**0.00**	**31.69**	**95.85**	**0.00**	**95.85**
पश्चिम	31	गुजरात	4.93	4.49	0.00	0.00	9.42	0.00	**9.42**	0.58	0	0.58	10.00	0.00	**10.00**
	32	दादरा व नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	33	महाराष्ट्र	9.23	9.90	0.00	0.00	19.13	0.00	**19.13**	6.98	0	6.98	26.11	0.00	**26.11**
	34	गोवा	0.19	0.00	0.00	0.00	0.19	0.00	**0.19**	0.00	0	0.00	0.19	0.00	**0.19**
	35	मध्य प्रदेश	4.18	9.33	0.00	0.00	13.51	0.00	**13.51**	189.16	0.00	189.16	202.67	0.00	**202.67**
	36	छत्तीसगढ़	6.32	14.38	0.00	0.00	20.70	0.00	**20.70**	11.26	0	11.26	31.96	0.00	**31.96**
कुल पश्चिमी क्षेत्र			**24.85**	**38.10**	**0.00**	**0.00**	**62.95**	**0.00**	**62.95**	**207.98**	**0.00**	**207.98**	**270.93**	**0.00**	**270.93**
सकल योग			**147.38**	**322.43**	**6.79**	**5.63**	**469.81**	**12.42**	**482.23**	**347.13**	**85.80**	**432.93**	**816.94**	**98.22**	**915.16**

(अनुबंध-II)

लोक सभा में दिनांक 17.12.2025 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं. 2947 के उत्तर के भाग (ख) में उल्लिखित अनुबंध

दिनांक 01 नवंबर, 2025 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के पास राज्य-वार उपलब्ध भंडारण इकाइयों की संख्या

क्रम संख्या	क्षेत्रीय कार्यालय	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एफसीआई स्वामित्व*	एफसीआई द्वारा प्रबंधित एवं किराए पर								कुल एफसीआई (स्वामित्व+किराए पर)
				सीडब्ल्यूसी	राज्य सरकार	एसडब्ल्यूसी	पीईजी	किराए पर लिए गए साइलो	पीडब्ल्यूएस 2010	अन्य/ निजी पार्टियां	कुल किराए पर	
1	बिहार	बिहार	12	9	1	30	14	3	4	2	63	75
2	झारखंड	झारखंड	9	4	0	5	20	0	9	0	38	47
3	ओडिशा	ओडिशा	21	7	2	13	0	0	0	0	22	43
4	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल	22	2	0	1	0	2	1	1	7	29
		सिक्किम	1	0	0	1	0	0	0	0	1	2
कुल पूर्वी क्षेत्र			**65**	**22**	**3**	**50**	**34**	**5**	**14**	**3**	**131**	**196**
5	असम	असम	22	3	0	4	1	1	0	5	14	36
6	अरुणाचल प्रदेश	अरुणाचल प्रदेश	14	1	1	1	0	0	0	1	4	18
7	एनईएफ (शिलांग)	मेघालय	4	0	0	3	2	0	0	0	5	9
		मिजोरम	6	0	0	0	0	0	0	0	0	6
		त्रिपुरा	5	1	1	1	0	0	0	0	3	8
8	मणिपुर	मणिपुर	9	0	0	0	0	0	0	0	0	9
9	नगालैंड	नगालैंड	5	1	0	0	0	0	0	0	1	6
कुल पूर्वोत्तर क्षेत्र			**65**	**6**	**2**	**9**	**3**	**1**	**0**	**6**	**27**	**92**
10	दिल्ली	दिल्ली	6	0	0	0	0	0	0	0	0	6
11	हरियाणा	हरियाणा	34	13	6	92	94	6	7	3	221	255
12	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश	8	3	0	1	7	0	0	1	12	20
13	जम्मू एवं कश्मीर	जम्मू एवं कश्मीर	12	2	1	0	7	0	6	0	16	28
		लद्दाख	4	0	0	0	1	0	0	0	1	5
14	पंजाब	पंजाब	125	23	1	357	181	9	1	54	626	751
		चंडीगढ़	0	7	0	0	0	0	0	0	7	7
15	राजस्थान	राजस्थान	39	20	3	27	3	1	94	10	158	197
16	उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश	46	26	7	94	63	4	4	1	199	245
17	उत्तराखंड	उत्तराखंड	4	5	0	11	1	0	0	0	17	21
कुल उत्तरी क्षेत्र			**278**	**99**	**18**	**582**	**357**	**20**	**112**	**69**	**1257**	**1535**
18	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश	22	3	0	24	0	0	0	0	27	49
		अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
19	तेलंगाना	तेलंगाना	11	8	1	47	1	0	15	0	72	83
20	केरल	केरल	23	3	0	0	0	0	0	0	3	26
21	कर्नाटक	कर्नाटक	21	8	0	22	0	1	8	0	39	60
		लक्षद्वीप	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
22	तमिलनाडु	तमिलनाडु	10	8	1	12	4	2	2	0	29	39
		पुदुचेरी	4	2	0	2	0	0	1	0	5	9
कुल दक्षिणी क्षेत्र			**93**	**32**	**2**	**107**	**5**	**3**	**26**	**0**	**175**	**268**
23	गुजरात	गुजरात	14	10	2	0	0	3	8	3	26	40
		दादर व नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र	13	6	1	24	2	1	19	2	55	68
		गोवा	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
25	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश	25	2	0	204	0	0	2	1	209	234
26	छत्तीसगढ	छत्तीसगढ	21	8	2	74	3	0	1	1	89	110
कुल पश्चिमी क्षेत्र			**74**	**26**	**5**	**302**	**5**	**4**	**30**	**7**	**379**	**453**
कुल योग			**575**	**185**	**30**	**1050**	**404**	**33**	**182**	**85**	**1969**	**2544**